षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.03.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है.।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री रामदेव राय, स०वि०स०	"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालय में 19.04.2007 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों का चयन विहित प्रक्रिया के तहत चयन समिति के माध्यम से 31.03.2017 तक करना है, लेकिन 19.04.2007 के बाद नियुक्त शिक्षकों को चयन प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है । विश्वविद्यालय के पत्रांक-CR-9/12, दिनांक-05.01.2012 के द्वारा 26.03.2008 तक स्वीकृत एवं अनुशंसित पदों के विरूद्ध नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के बीच अनुदान की राशि मांग विवरणी के आधार पर भुगतान प्रपत्र के माध्यम से किया गया है, फिर भी 19.04.2007 के बाद शासी निकाय द्वारा विधिवत् नियुक्त शिक्षकों को चयन प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है, जिससे उन शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । अतएव सरकार से 19.04.2007 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री जितेन्द्र कुमार, स०वि०स०	"बिहार सरकार, राज्य सहकारी बैंक को धान अधिप्राप्ति हेतु 9 प्रतिशत पर कैश क्रेडिट ऋण देती है । राज्य सरकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को 9.5 प्रतिशत पर एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, पैक्सों को 11 प्रतिशत सूद पर कैश क्रेडिट देती है । राज्य खाद्य निगम से भुगतान में विलम्ब के कारण पैक्सों पर अतिरिक्त सूद का बोझ बढ़ जाता है । अन्ततः इसका दुष्परिणाम किसानों एवं पैक्सों पर ही जाता है । अतः राज्य के किसानों एवं पैक्सों के हित में राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत पर कैश क्रेडिट उपलब्ध कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	सहकारिता

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/17- 2327-2336 /वि०स०, पटना, दिनांक-27 मार्च, 2017 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा सहकारिता विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पांडव कुमार सिंह 27/3/17
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/17- 2327-2336 /वि०स०, पटना, दिनांक-27 मार्च, 2017 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

पांडव कुमार सिंह 27/3/17
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।